



कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

प्रपत्र-10 ग (क० पें० यो०)

Form 10-C (E.P.S.)

निकासी परिलाभ/योजना प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र

Form for claiming withdrawal benefit/scheme certificate

निर्देश/INSTRUCTIONS

कौन आवेदन कर सकता है ? / Who Can apply ?

- कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971/कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का कोई सदस्य जिसने
A Member of the Employees' Family Pension Scheme, 1971/Employees' Pension Scheme, 1995.
(क) 10 वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व नियोजन को छोड़ दिया है,
(a) Who has left the employment before completion of 10 years service.
(ख) 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवा में रहते हुए अथवा सेवा के बाद अर्थात् 58 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो।
(b) Who has attained the age of 58 years before completion of 10 years service - whether in service/left the service
(ग) सेवा अवधि का कार्य काल 6 माह के अधिक हो।
- एक सदस्य, जिसने सेवा त्यागने की तिथि को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इस आवेदन को भरने की तिथि तक 58 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं हुआ है या इस आवेदन को भरने की अवधि तक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या 50 वर्ष की अथवा इससे अधिक परन्तु 58 वर्ष की कम की आयु को प्राप्त कर चुका है तथा घटी दर की पेंशन हेतु इच्छुक नहीं है।

A member, who has completed 10 years service on the date of his leaving the service and has not attained the age of 50 years on the date of filing this application or has attained the age of 50 years on the date of filing this application or has attained the age of 50 years or more but less than 58 years, and not willing for reduced pension.

टिप्पण-1 : दिनांक 1.3.1971 से दिनांक 15.11.95 तक की सेवा (यदि कोई है) को 10 वर्ष की सेवा हेतु गिना जाएगा।

Note-I : To determine the period of 10 years service rendered from 1.3.1971 to 15.11.1995 (if any), shall also be taken.

टिप्पण-II (i) एक सदस्य, जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 58 वर्ष की आयु को सेवा में अथवा सेवा में न रहते हुए प्राप्त कर लिया है, मासिक सदस्य पेंशन हेतु पात्र है।

Note-II (i) A member who has completed 10 years service and attained the age of 58 years, whether in service or not is eligible for Monthly Member Pension.

(ii) सदस्य जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तथा 50 वर्ष की आयु भी पूरी कर ली है, रोजगार छोड़ने के उपरान्त घटी दर पर पेंशन लेने के लिए पात्र है।

(ii) A member, who has completed 10 years service and also attained the age of 50 years is eligible to draw pension at reduced rate, after leaving the employment.

(iii) सदस्य, जिसने पूर्ण एवं स्थायी अपंगता के कारण सेवा त्याग दी है चाहे उसकी आयु और सेवा अवधि कितनी भी हो, मासिक अपंगता पेंशन हेतु पात्र है।

(iii) A member who has left the service on account of total and permanent disablement, irrespective of his age and period of service, is eligible for monthly disablement pension.

(iv) मासिक पेंशन के दावे हेतु प्रपत्र-10-डी में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

(iv) To claim the Monthly pension, application in Form-10-D should be submitted.

3. पात्र परिलाभ के प्रकार/Type of benefit eligible :

ऊपर मद संख्या-1 के अंतर्गत कोई सदस्य निकासी परिलाभ की राशि को प्राप्त करने का पात्र है।

A member falling under Item 1 above is eligible to get the amount towards withdrawal benefit.

तथापि ऊपर मद सं० - 1 (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट सदस्य को परामर्श दिया जाता है कि वह निम्नलिखित प्रसुविधाओं हेतु योजना प्रमाणपत्र के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

However, a member falling under item 1(a) above is advised to opt for the Scheme Certificate on account of following advantages.

(i) किसी अन्य संस्थान में रोजगार प्राप्त करने पर उसकी पूर्व सेवा अवधि को आगे गिना जाएगा तथा उन्हें एकत्रित कर पेंशन की हकदारी को विनियमित किया जाएगा।

(i) On taking up employment in another establishment, his earlier service period will be carried forward and clubbing both the spells together pension entitlement shall be regulated.

(ii) यदि कोई सदस्य रोजगार प्राप्त नहीं करता है और 58 वर्ष की आयु को प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार "परिवार पेंशन" प्राप्त करेगा।

(ii) If the member does not take up employment and dies before attaining the age of 58 years. His family will get family Pension. On his survival, he will get withdrawal benefit with weightage as may be prescribed.

(iii) योजना प्रमाणपत्र प्राप्त करते समय सदस्य द्वारा भविष्य निधि संचय की निकासी में कोई रुकावट नहीं है ।

(iii) While availing a Scheme Certificate, there is no bar to withdraw the P. F. accumulations by the member.

4. आवेदन पत्र भरने हेतु मार्गदर्शन/Guidance for filling the application :

(नीचे क्रम सं० आवेदन में दी क्रम सं० से संदर्भित है)

(S.No. given below refers to the one given in the application)

- क्रम सं०-1 (क) स्थापना के सेवा अभिलेखों में दिए अनुसार अपना नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखिए ।
Sl. No.-1 (a) Write your name in CAPITAL letters as given in the service records of your establishment.
(ख) केवल उस समय भरा जाए जब आवेदन सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (अर्थात नामिति/परिवार सदस्य) द्वारा प्रस्तुत किया जाना है ।
(b) To be furnished only when the application is preferred by a person other than the member himself (i.e. Nominee/family member)
2. सदस्य की सही जन्म तिथि दी जानी चाहिए ।
The exact date of birth of the member should be given.
- 3 से 7 तक विवरणों को बगैर किसी ओवरराइटिंग या कटिंग को स्पष्ट रूप से यहां दिया जाना चाहिए । किसी भी शुद्धि/शोधन को अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।
3 to 7 : - Particulars should be written clearly without any overwriting or cutting. Correction if any, be attested.
8. सदस्य द्वारा विकल्प उसी स्थिति में दिया जाना है यदि उसने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है और निकासी परिलाभ हेतु पात्र है ।
The option is to be given by the member only if he has not rendered 10 years service and eligible for withdrawal benefit.
9. नामित व्यक्ति और परिवार (जीवन साथी एवं सभी बच्चे) का पूर्ण विवरण हर स्थिति में दिया जाना चाहिए ।
Complete particulars of nominee and family (spouse and all children) should be given without fail.
10. इसे तब प्रक्रिया में लाया जाए जब नामित या परिवार के किसी सदस्य द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया हो ।
To be furnished when the claim is preferred by nominee or the family member (s).
11. इसे केवल तभी पूरा किया जाए जब सदस्य निकासी परिलाभ हेतु पात्र हो और उसने योजना प्रमाणपत्र के स्थान पर इस हेतु विकल्प दिया हो । (यह उन पर लागू नहीं है जो योजना प्रमाणपत्र हेतु हकदार हैं अथवा जिन्होंने निकासी परिलाभ के स्थान पर योजना प्रमाणपत्र हेतु विकल्प दिया है ।)
To be completed only when a member is eligible for withdrawal benefit and opted for it in lieu of scheme Certificate (not applicable to those who are entitled for Scheme Certificate or opted for Scheme Certificate in lieu of withdrawal benefit.)
12. यदि सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत परिवार पेंशन/पेंशन ले रहा है तो उसे विवरण देना चाहिए ।
In case, the member is drawing Family Pension/Pension under the Employees' Pension Scheme 1995, the details should be furnished.

अग्रिम प्राप्ति रसीद/Advance Receipt :

दावा प्रपत्र का अभिप्रमाणपत्र/Attestation of claim form :

दावा साधारणतः उस नियोक्ता से अभिप्रमाणित होना चाहिए जिसके अधीन सदस्य अन्त में नियोजित था ।

The claim should preferably be attested by the employer under whom the member was last employed.

यदि किसी कारणवश दावेदार आवेदन को अपने पूर्व नियोक्ता से अभिप्रमाणित कराने में असमर्थ है तो उसे चाहिए कि वह स्थिति को स्पष्ट करते हुए दावे को निम्नलिखित अधिकृत अधिकारियों में से किसी एक से अभिप्रमाणित कराकर भविष्य निधि कार्यालय को अग्रसारित कर दें ।

If for any reason, the claimant is unable to get the application attested by his ex-employer, he may forward the claim to the Provident Fund office duly clarifying the position, after getting it attested by any one of the following authorised officials :

- (i) उस बैंक के मैनेजर से जिसमें सदस्य का खाता अनुरक्षित है ।
(i) Manager of the Bank where the member is holding an account.
 - (ii) शैक्षणिक संस्था का प्रधान/Head of Educational institution.
 - (iii) राजपत्रित अधिकारी/A Gazetted Officer.
 - (iv) उप डाकपाल/डाकपालSub-Post Master.
 - (v) मजिस्ट्रेट/The Magistrate
 - (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ।
(vi) Member of Central Board of Trustees
Employees's Provident Fund or Regional Committee
 - (vii) अध्यक्ष/सदस्य/नगरपालिका/जिला / स्थानीय बोर्ड का सदस्य
(vii) Chairman/Secretary/Member of the Municipal/District/Local Board
 - (viii) ग्राम/पंचायत का अध्यक्ष/संरपच/संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य
(viii) President of the village Union / Panchayat / Member of Parliament / Member of Legislative Assembly.
 - (ix) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी
(ix) Any other officer approved by the Regional P. F. Commissioner
5. अपेक्षित अन्य किसी मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण (यदि कोई है) हेतु निकटतम भविष्य निधि कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (भविष्य निधि निरीक्षणालय भी सम्मिलित है) से संपर्क किया जा सकता है ।
5. For further guidance/clarifications required, if any the Public Relation Officer in the nearest Provident Fund Office (including Provident Fund Inspectorates) may be contacted.

केवल कार्यालय के प्रयोगार्थ
For Office Use Only

आवक सं०
In ward No.

क्रम सं.
Serial No.

प्रपत्र सं० 10-ग (क०पे०यो०)
Form No. 10-C (E.P.S.)

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 EMPLOYEES PENSION SCHEME, 1995

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्य द्वारा केवल निकासी
परिलाभ/योजना प्रमाणपत्र के दावे हेतु प्रयोग किया जाने वाला प्रपत्र

**FORM TO BE USED BY A MEMBER OF THE EMPLOYEES' PENSION SCHEME,
1995 FOR CLAIMING WITHDRAWAL BENEFIT/SCHEME CERTIFICATE**

(प्रपत्र भरने से पहले निर्देशों को पढ़ें)

(Read the instructions before filling up this form)

1. (क) सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
Name of the Member
(In Block Letters) : _____
(ख) दावेदार का नाम
Name of the claimant (s) : _____
2. जन्मतिथि
Date of Birth

--	--	--	--	--
3. पिता का नाम/Father's Name _____
पति का नाम
Husband's Name (If applicable) _____
4. स्थापना का नाम व पता जिसमें
सदस्य अंत में नियोजित था।
Name & Address of the
Establishment in which,
the member was last employed _____
5. कोड सं. तथा खाता सं.
Code No. & Account No.

--	--	--	--	--

क्षेत्र/उ० क्षे० का० कोड
Region/SRO Code
स्थापना की कोड सं०
Estt. Code No.

--

खाता सं.
A/c No.

--
- 5A Date of Joining the Estt. _____
6. सेवा छोड़ने का कारण तथा
सेवा छोड़ने की तिथि
Reason for leaving service &
Date of leaving _____
7. पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)
Full Address (In Block Letters)
श्री/श्रीमती/कुमारी/Sh./Smt./Km.
पुत्र/पत्नी/पुत्री/S/o, W/o, D/o _____
पिन/PIN _____

8. क्या आप निकासी परिलाभ के स्थान पर योजना प्रमाणपत्र स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
Are you willing to accept Scheme Certificate in lieu of withdrawal benefits

(क) (ख)
(a) (b)
हाँ नही
Yes No

9. परिवार का विवरण (पति/पत्नी तथा बच्चे तथा नामिति)
Particulars of Family (Spouse & Children & Nominee)

नाम Name	जन्मतिथि Date of Birth	सदस्य के साथ संबंध Relationship with Member	नाबालिग के अविभावक का नाम Name of the guardian of minor
-------------	---------------------------	--	--

(क) परिवार के सदस्य
(a) Family members

(ख) नामिति
(b) Nominee

10. 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सदस्य की मृत्यु होने पर, बिना दावा दिए :-
In case of death of member after attaining the age of 58 years without filing the claim :-

(क) सदस्य की मृत्यु की तिथि
Date of death of the member

(ख) दावेदारों के नाम/तथा सदस्य से उसका संबंध
Name of the Claimant(s)/and relationship with the member

11. धनप्रेषण का माध्यम (विकल्पित विधि के अनुसार संबंधित कोष्टक में टिक करें)
Mode of remittance (put a tick in the box against the one opted)

(क) मद सं. 7 में दिए पते पर मेरी लागत पर डाक मनीआर्डर द्वारा
By postal money order at my cost to the address given against item No. 7 :

(ख) खाता देयी चेक सीधा मेरे बैंक (अनुसूचित बैंक/डाकघर) में बचत खाते में जमा होने हेतु भेज दें। इसकी सूचना हमें भी हो।
Account payees cheque sent direct for credit to my SB A/c (Scheduled Bank) Under intimation to me. :

बचत बैंक खाता सं०/S. B. Account No. : _____

बैंक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
Name of the Bank (In block letters) : _____

शाखा (स्पष्ट अक्षरों में)/Branch (In block letters) : _____

शाखा का पूरा पता (स्पष्ट अक्षरों में)
Full address of the Branch (in block letters) : _____

12. क्या आप क० पें० यो०-95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं?

Are you availing pension under EPS-95?

यदि हाँ, तो इंगित करें
If so, indicate

पी० पी० ओ. सं०
PPO No.

किसके द्वारा जारी
By whom issued.....

प्रमाणित किया जाता है कि विवरण मेरे अधिकतम ज्ञान के अनुसार सत्य है।
Certified that the particulars are true to the best of my knowledge.

दिनांक :
Date.....

सदस्य के हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ का अंगूठा निशानी
Signature or left Hand Thumb impression of the Member / claimant (s)

अग्रिम प्राप्ति रसीद
Advance Stamped Receipt


[केवल ऊपर (ख) के मामले में ही प्रस्तुत किया जाए]
[To be furnished only in case of (b) above]

पेंशन निधि खाते के निपटान स्वरूप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/उप-क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से अपने बचत बैंक खाते में जमा द्वारा रु०..... (शब्दों में) की राशि प्राप्त की।

Received a sum of Rs. (Rupees.....) only from Regional Provident Fund Commissioner/Officer-in-charge of Sub-Regional Officeby deposit in my savings Bank A/c towards the settlement of my Pension Fund Account.

बाँयी तरफ दिए रिक्त स्थान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/प्रभारी अधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
The space should be left blank which shall be filled by Regional Provident Fund Commissioner/Officer-in-charge)

टिकट पर सदस्य के हस्ताक्षर और बाँय हाथ के अंगूठे का निशान
Signature & left hand thumb impression of the member on the stamp



प्रमाणित किया जाता है कि सदस्य द्वारा दिए विवरण सही है और सदस्य ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठा निशानी लगाई है।

Certified that the particulars of the member given are correct and the member has signed/thumb impressed before me.

सदस्य की मजदूरी एवं गैर अंशदायी सेवावधि के विवरण निम्नानुसार हैं :-

The details of wages and period of non-contributory service of the member are as under :

(प्रपत्र-3ए/7) (क०पें०यो०) उस अवधि का संलग्न है जिस अवधि हेतु ये कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को भेजे नहीं गए थे।)
(Form 3A/7 (EPS)) enclosed for the period for which it was not sent to Employees' Provident Fund Office)

दिनांक 15.11.95 को मजदूरी (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) (यदि लागू है)
Wages (Basic+D.A.) as on 15.11.95 (if applicable)

सेवा त्यागने की तिथि को मजदूरी
Wages as on the date of exit

गैर अंशदायी सेवा की अवधि
Period of non contributory Service

वर्ष/माह दिन
Year/Month No. of days

दिनांक
Date.....

नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Employer/Authorised Official

आयुक्त कार्यालय के प्रयोगार्थ
(For the use of commissioner's office)

रु०.....के अधीन/अदायगी मद सं०.....मनीआर्डर/चैक
(Under Rs. P.I. No. M.O./Cheque.

रु०.....शब्दों में.....की अदायगी हेतु स्वीकृत किया।
Passed for payment for Rs.....(in words).....

मनीआर्डर कमीशन (यदि कोई है) निकासी परिलाभ की निवल राशि
M. O. Commission (if any) net amount to be paid by M. O.
towards withdrawal benefit.

सं० लि०
D.H.

अनुपर्यवेक्षक
S. S.

सं०ले०अधि०
A. AO.

**(नकदानुभाग के प्रयोगार्थ)
(For use in Cash Section)**

चैक सं० दिनांक.....द्वारा संदेय जिसे नकद पुस्तिका (बैंक) खाता
सं०-10 डेबिट मद सं० पर दर्ज कर लिया है।

Paid by inclusion in cheque No. Dt. vide cash Book (Bank) Account
No. 10 Debit item No.

अनु पर्य०
S. S.

सं अधि० (नकद)
AC (Cash)

एस. एस. आई. डी. एस. हेतु जारी करने के लिए संलग्न हैं :-
For issue of S. S. ; IDS is enclosed

सं लि०
D.H.

अनु० पर्य०
S. S.

सं ले०आ०
A. AO.

संभ०नि०आ० (लेखा)
APFC (A/cs.)

**(पेंशन अनुभाग के प्रयोगार्थ)
(For use in Pension Section)**

योजना प्रामाणपत्र जिस पर नियंत्रण सं० उल्लिखित है, को
दिनांक को जारी किया और इसकी प्रविष्टि योजना प्रामाणपत्र नियंत्रण पंजी में की।

Scheme Certificate bearing the control No. issued on and entered in
the Scheme Certificate Control Register.

सं लि०
D.H.

अनु० पर्य०
S. S.

सं ले०अधि०
A. AO.

संभ०नि०आ० (पेंशन)
APFC (Pension)